

फर्द अहकाम

हनुमान

बनाम

गौरी बर्वा

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोधनेर

केस सं. 161/2022...

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10.10.22	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27.11.22 को पेश हो गई।	
	27.11.22	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः पूर्व आदेशानुसार दिनांक 27.11.22 को पेश हो गई।	
	21.11.22	पत्रावली केला हुई। वारी एवं उनके अधिवक्ता बिलुपारिधित। वारी को साज न्यायालय से प्रथम धुधक समय पर तीन-तीन बार भावाजे लगवायी गयी। भावजूद भावाज लगवाने के उपरोक्त भी वारी के न्यायालय में हाजिर नहीं सने के कारण पत्रावली अस्तित्व में नहीं - 1 नियम - 3 भा. 4. के तहत अदम हाजरी व अदम वेरवी से खारिज की गयी। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दायित्व अन्तर्गत है। <div style="text-align: center;"> <p><i>Del</i> उपखण्ड अधिकारी जोधनेर, जयपुर</p> </div>	